



आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3
<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>2-2✓ (1)लक्ष्मण बेदिया (2)विनोद बेदिया (3)रंजीत बेदिया, तीनों के पिता स्व० लखन बेदिया (4)कारी देवी, पति स्व० रामवृक्ष बेदिया, ग्राम-मिश्राइनमोढ़ा, पोस्ट-रेलीगढ़ा, थाना-गिद्दी-ए, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारतकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-डाड़ी, मौजा-मिश्राइनमोढ़ा, थाना नं०-33, खाता संख्या-89, प्लॉट संख्या-629, 1333, क्रमशः रकवा-20डी०, 20डी० कुल रकवा-40डी० भूमि मंजू देवी, पति बिरेन्द्र कुमार बेदिया, पिता-बोधन बेदिया, ग्राम-मिश्राइनमोढ़ा, पोस्ट-रेलीगढ़ा, थाना-गिद्दी-ए, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-75/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-258/रा० दिनांक-18.01.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, डाड़ी को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, डाड़ी हजारीबाग के पत्रांक 323 दिनांक 10.12.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, डाड़ी हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत है एवं एक ही थाना के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदकों को खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत लेदु बेदिया हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 5.25 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकवा 4.99 एकड़ है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-212/1 पर लेदु वेदिया वगै० के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2016-17 तक लगान रसीद निर्गत है। जमाबंदी रैयत आवेदक के पोता एवं पौत्रवधु है। आवेदकों द्वारा धारित कुल रकवा/आवेदकों के हिस्से की भूमि 2.49 1/2 एकड़ है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदकों के पास रकवा 2.09 1/2 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदकों को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।</p>	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी तारीख
1	2	3
	<p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, डाड़ी हजारीबाग द्वारा विक्रेताओं को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, डाड़ी हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1)लक्ष्मण बेदिया (2)विनोद बेदिया (3)रंजीत बेदिया, तीनों के पिता स्व0 लखन बेदिया (4)कारी देवी, पति स्व0 रामवृक्ष बेदिया, ग्राम-मिश्राइनमोढ़ा, पोस्ट-रेलीगढ़ा, थाना-गिद्दी-ए, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-डाड़ी, मौजा-मिश्राइनमोढ़ा, थाना नं0-33, खाता संख्या-89, प्लॉट संख्या-629, 1333, क्रमशः रकवा-20डी0, 20डी0 कुल रकवा-40डी0 भूमि मंजू देवी, पति बिरेन्द्र कुमार बेदिया, पिता-बोधन बेदिया, ग्राम-मिश्राइनमोढ़ा, पोस्ट-रेलीगढ़ा, थाना-गिद्दी-ए, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p>	